संख्या-32 /2016/2988/26-2-2016

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ : दिनॉक 28 दिसम्बर, 2016

विषयः- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम-2007 एवं उ0प्र0 माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014 के अन्तर्गत प्रदेश में वृद्धाश्रम संचालन हेतु दिशा-निर्देश/कार्य पद्धति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-20/2015/2167/26-2-2015 दिनॉक 16-9-2015 द्वारा निर्गत शासनादेश के प्रस्तर-2 में आंशिक संशोधन करते हुए आश्रमों में वृद्धजनों की प्रवेश प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है-

1- संस्था अपने स्तर से समाचार पत्रों, बी0डी0सी0 की बैठकों तथा ग्राम पंचायत की बैठकों के माध्यम से, नगर निगम, नगर पालिका, टाउन एरिया के सक्षम अधिकारियों से सम्पर्क करके नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप वृद्धगृह स्थापना के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करायेगी, जिससे जरूरतमंद, निराश्रित तथा निर्धन वृद्धजन योजना का लाभ उठा सकें।

2- 60 वर्ष के ऊपर के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनके पास स्वयं के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, अथवा निर्धन है या निराश्रित हैं, आश्रम में रहने के इच्छुक वरिष्ठ नागरिकों से समुचित अन्तरालों पर किन्तु प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। आवेदन पत्र विकास खण्ड कार्यालय, जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, नगर निकाय कार्यालय, तहसील, कलेक्ट्रेट या संस्था में वृद्धजन द्वारा जमा किये जा सकेंगे, लेकिन आवेदन पत्र अन्ततः वृद्धाश्रम में रिकार्ड के लिए रखे जायेगें। संस्था समुचित अन्तराल पर कार्यालयों से सम्पर्क करके आवेदन पत्र इकट्ठा करा लेगी।

3- नोटीफिकेशन दिनॉक 20-10-2014 द्वारा उप जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में अधिकरण तथा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में अपीलीय अधिकरण का गठन कर दिया गया है। अतः अधिकरण तथा अपीलीय अधिकरण के स्तर से संस्तुत पात्र वृद्धजनों का प्रवेश वृद्धाश्रमों में प्राथमिकता के आधार पर किया जाना बाध्यकारी रहेगा।

4- ऐसे वृद्धजन, जो रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों आदि से जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, पुलिस अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी के सम्पर्क में आते हैं, जिनके पास रहने, खाने की व्यवस्था नहीं है तथा मा0 सांसद, मा0 विधायकगण अथवा अन्य किसी गणमान्य जनप्रतिनिधि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

द्वारा जरूरतमंद वृद्ध के प्रवेश के सम्बन्ध में संस्तुति की जाती है, तो ऐसे प्रकरणों में जिलाधिकारी की सहमति से जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा वृद्धाश्रम में रखे जाने की अनुमति दी जायेगी।

5- वृद्धजनों के भरण-पोषण सम्बंधी प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई के दौरान गठित अधिकरण के संज्ञान में यदि आता है कि भरण-पोषण करने वाले वृद्धजनों के वारिस उन्हें अपने साथ रखना नहीं चाहते हैं तो ऐसे वृद्धजनों को सुनवाई के दौरान उनके अपने खर्च पर वृद्धाश्रम में रखने की अनुमति दी जायेगी।

6- विभिन्न स्तरों पर आश्रमों में प्रवेश हेतु वृद्धजनों के प्राप्त प्रार्थना पत्रों का परीक्षण करके प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु निम्नलिखित समिति गठित की जाती है-

1-	जिला समाज कल्याण अधिकारी/भरण पोषण अधिकारी	अध्यक्ष
2-	मुख्य विकास अधिकारी द्वारा नामित खण्ड विकास अधिकारी-	सदस्य
3-	नगर निकाय का प्रतिनिधि-	सदस्य
4-	संस्था का प्रबन्धक	सदस्य-सचिव
5-	वृद्धाश्रम का अधीक्षक	सदस्य

7- किसी भी अवसर पर संस्था में पात्र आवेदकों की संख्या आश्रम में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों से अधिक होने की दशा में अन्तःवासियों को निम्नवत् वरीयता दी जायेगी-

1- अधिक निर्धन तथा जरूरतमंद को कम निर्धन आवेदकों पर प्राथमिकता दी जाएगी।

2- अन्य बातें समान होने पर, अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को उनसे कम उम्र के वरिष्ठ नागरिकों की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी।

3- अन्य बातें समान होने पर, महिला आवेदकों को पुरूष आवेदकों के मुकाबले प्राथमिकता दी जायेगी।

4- निरक्षर और या अत्यधिक वरिष्ठ नागरिकों को भी बिना किसी औपचारिक आवेदन के, प्रवेश दिया जा सकेगा, यदि सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि ऐसा वरिष्ठ नागरिक औपचारिक आवेदन देने की स्थिति में नही है किन्तु उसे आश्रम की अत्यन्त आवश्यकता है।

5- प्रवेश के लिए आवेदनों या मामलों पर विचार करते समय, धर्म या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नही किया जायेगा,

6- आश्रम, पुरूष तथा महिला अंतःवासियों के लिए ठहरने की अलग व्यवस्था करेगा, जब तक कि पुरूष एवं महिला अंतःवासी रक्त संबंधी या विवाहित युगल न हो,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- प्रबन्ध समिति द्वारा वृद्धाश्रम के दैनिक कार्यकलापों का प्रबंधन इस प्रकार किया जाएगा कि समिति में अन्तःवासियों का भी समुचित प्रतिनिधित्व हो। संस्था में किसी भी समय 25 वृद्धजनों से कम की संख्या अनुमन्य नहीं होगी।

8- संस्था में प्रवेशित एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापित वृद्धजनों के सापेक्ष ही संस्था को वृद्धजनों के भोजन एवं स्टाफ मद में भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

शासनादेश दिनॉक 16-9-2015 में निर्धारित अन्य व्यवस्थायें यथावत लागू रहेंगी एवं उक्त शासनादेश उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव।

पृ0संख्या-32/2016/2988 (1)/26-2-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

4- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।

5- मा0 समाज कल्याण मंत्री/मा0 समाज कल्याण राज्य मंत्री जी के निजी सचिव।

6- निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश।

8- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

नीरजा कुरील
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।